#### FORM-I

(For linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Dholpur

No. 3/08

Dated: 2-11-2018

### TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short ) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.90** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Works Department, Division-Bari, District-Dholpur. For Construction of BT Road from Dhondh to Khidarpur Village** in Dholpur district falls within jurisdiction of Gram Panchayat **Dhondh** Villages Khidarpur, Dhondh **in Sirmathura tehsil** (Forest compartment Dhondh Khasara no.1040,1050 Area 0.50,0.18 hectares and khidarpur khasara No.280 Area 0.22 hectares) **Sirmathura Tehsil Dholpur** district.

#### It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.90** hectares of forest area proposed for diversion. A Copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s) ,Sub-Division Level Committee (S) and the District level Committee are Enclosed as Annexure 1,2.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Preagricultural communities.

District Collector

Dholpur

# कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर

कमांक:प.12/12/54/राजस्व/2015/3107

दिनांक 2.11.2018

## बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 2.11.2018 को वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र कमांक / 11-9 / 98-एफ सी दिनांक 3.8.2009 में दिये निर्देशानुसार जिला धौलपुर में सोने का गुर्जा सड़क से इन्दौरा गांव (4.27 हैक्टे.), सोने का गुर्जा सड़क से उवासा गांव (1.44 हैक्टे.) सरमथुरा झिरी सड़क कि.मी. 9 से मल्लापुरा गांव 1.08 हैक्टे.), सरमथुरा झिरी सड़क किलोमीटर 18 से गिरौनिया गांव (1.26 हैक्टे.), धौंध से खिदरपुर गांव (0.9 हैक्टे.), खरौली से अमानपुरा गांव (2.70 हैक्टे.) वन भूमि होने से उक्त भू भाग के लिए प्रत्यावर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति धौलपुर की बैठक आयोजित कर चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त वन क्षेत्र में कुल 13 हैक्टेयर भूमि प्रत्यावर्तन (Diversion ) की जानी प्रस्तावित है, इसमें किसी भी प्रकार के वनाधिकार पत्र नहीं होने व वनाधिकार की कोई कार्यवाही लम्बित नहीं होने से किसी प्रकार की आपिता नहीं है।

जिला स्तरीय समिति द्वारा सोने का गुर्जा सड़क से इन्दौरा गांव (4.2703 हैक्टे.) के लिये , मदनपुर वन क्षेत्र ( 4.2703 हैक्टेयर) सोने का गुर्जा सड़क से उवासा गांव(1.44 हैक्टे.) के लिए वन क्षेत्र वाइल्ड लाइफ रामसागर सेंचुरी ( 1.44 हैक्टेयर), सरमथुरा झिरी सड़क कि. मी. 9 से मल्लापुरा गांव 1.08 हैक्टे.) के लिए वन क्षेत्र रीझोनी (1.08 हैक्टेयर), सरमथुरा झिरी सड़क किलोमीटर 18 से गिरौनिया गांव (1.26 हैक्टे.) के लिए वन क्षेत्र गिरौनिया ( 1.26 हैक्टेयर), धौंध से खिदरपुर गांव (0.9 हैक्टे.) के लिए वन क्षेत्र मदनपुर (0.90 हैक्टेयर), खरौली से अमानपुरा गांव (2.70 हैक्टे.) के लिए वन क्षेत्र रीझोनी (2.70 हैक्टेयर) कुल 13 हैक्टेयर भू भाग के लिए वनाधिकार अधिनियम की दृष्टि से प्रत्यावर्तन (Diversion ) किये जाने की अनुशंषा की जाती है । निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र तथा बिला नाम भूमि आरक्षित किये जाने का आदेश पृथक से जारी किया जावे

2511-18 उपवन संरक्षक धौलपुर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर जिला कलक्दर धौलपुर

अधीक्षण अभियन्ता ' सा०नि०विभाग धौलपुर अधिशाषी अभियन्ता साठनि०विभाग बाडी

८६४४५ अधिशाषी अभियन्ता साठनि०वि० राजाखेडा

उपवन संरक्षक (वन्य जीव) राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभ्यारण सवाई माधोपुर